रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03102025-266603
CG-DL-E-03102025-266603

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 288] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 29, 2025/आश्विन 7, 1947
No. 288] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 29, 2025/ASVINA 7, 1947

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरुआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 सितंबर, 2025

(मामला सं. एडी (ओआई) -25/2025)

विषय: चीन जन. गण., इंडोनेशिया और वियतनाम के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "स्टेनलेस स्टील 300 और 400 सीरिज के कोल्ड रोल्ड फ्लैट उत्पाद" के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरुआत

1. **फा.सं. 6/28/2025-डीजीटीआर**.—समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे इसके बाद "अधिनियम" के रुप में कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे इसके बाद "नियमावली" अथवा "पाटनरोधी नियमावली" के रुप में कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए, इंडियन स्टेनलेस स्टील डवलपमैंट एसोसिएशन (आई एस एस डी ए) (जिसे इसके बाद "आवेदक" अथवा "आवेदक एसोसिएशन" के रुप में कहा गया है) ने घरेलू उद्योग की ओर से निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे इसके बाद "प्राधिकारी" के रुप में कहा गया है) के समक्ष चीन जन. गण., इंडोनेशिया और वियतनाम (जिन्हें इसके बाद "संबद्ध देश" के रुप में कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "300 और 400 सीरिज के स्टेनलेस स्टील के कोल्ड रोल्ड फ्लैट उत्पाद" (जिन्हें इसके बाद "संबद्ध वस्तु" अथवा "विचाराधीन उत्पाद" या "पी यू सी" के रुप में कहा गया है) के

आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरुआत करने के लिए आवेदन दायर किया है।

2. आवेदक ने यह आरोप लगाया है कि संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित कथित पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है और उसने संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने का अनुरोध किया है। आवेदक ने संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर अंतरिम और पूर्वव्यापी शुल्क लगाए जाने की भी मांग की है।

क. विचाराधीन उत्पाद

3. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद "स्टेनलेस स्टील के कतिपय कोल्ड रोल्ड फेरिटिक, मार्टेंसिटिक और ऑस्टेनिटिक ग्रेड के फ्लैट उत्पाद" हैं। विचाराधीन उत्पाद को सामान्य तौर पर **"300 और 400 सीरिज के स्टेनलेस स्टील के कोल्ड रोल्ड फ्लैट उत्पाद"** के रूप में जाना जाता है। ग्रेड/ विनिर्देश/ रसायन के आधार पर, विचाराधीन उत्पाद में निम्नलिखित शामिल हैं:

क. संरचना के अनुसार न्यूनतम 6 प्रतिशत निकल सामग्री के स्टेनलेस स्टील के सभी **ऑस्टेनिटिक** ग्रेड (जिन्हें सामान्य तौर पर **300 सीरिज** के रूप में संदर्भित किया जाता है, यद्यपि संगत तकनीकी मानक या उद्योग की भाषा के आधार पर अन्य विवरण/ संदर्भ भी हो सकते हैं)

ख. स्टेनलेस स्टील के सभी **फेरिटिक** और **मार्टेंसिटिक** ग्रेड (जिन्हें सामान्य तौर पर **400 सीरिज** के रुप में संदर्भित किया जाता है, यद्यपि संगत तकनीकी मानक या उद्योग की भाषा के आधार पर अन्य विवरण/ संदर्भ भी हो सकते हैं)

4. उपर्युक्त ऑस्टेनिटिक, फेरिटिक और मार्टेंसिटिक ग्रेड में वे सभी स्वामित्व और पेटेंट प्राप्त ग्रेड भी शामिल हैं जो उपर्युक्त विवरण के अनुरूप हैं। इसके अतिरिक्त, कोई भी ग्रेड जो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मानक का हिस्सा नहीं है, वह भी इस सीमा तक शामिल है कि वह ऊपर निर्दिष्ट फेरिटिक, मार्टेंसिटिक या ऑस्टेनिटिक ग्रेड की अपेक्षाओं को पूरा करता हो।

5. विचाराधीन उत्पाद के दायरे में उपर्युक्त सभी प्रकार के और सभी टाइप के ग्रेड/ विनिर्देश/ रसायन शामिल हैं, जिनमें वे उत्पाद भी शामिल हैं जिन पर किसी भी प्रकार की कोल्ड रोलिंग के बाद आगे की फिनिशिंग, वर्किंग या प्रसंस्करण किया गया है। इस तरह के परिष्करण कार्य या प्रसंस्करण के सांकेतिक उदाहरण (लेकिन संपूर्ण उदाहरण नहीं है) में एनीलिंग, टेम्परिंग, पिकलिंग, डी-स्केलिंग, स्टैम्पिंग, पॉलिशिंग, ग्राइंडिंग, मैकेनिकल वर्किंग, कोटिंग, सतह उपचार आदि शामिल हैं।

6. स्टेनलेस स्टील के कोल्ड रोल्ड फ्लैट उत्पादों में फ्लैट रोल्ड उत्पाद भी शामिल हैं जिनमें रोलिंग से सीधे प्राप्त उभार वाले पैटर्न हो सकते हैं जैसे ग्रूव, रिब्स, चेकर्स आदि या रोलिंग के बाद उन पर काम किया गया हो सकता है, जैसे छिद्रित, नालीदार आदि।

7. स्टेनलेस स्टील आयरन, क्रोमियम और अन्य धातुओं की एक जंग रोधी मिश्र धातु है। विचाराधीन उत्पाद का लेन-देन कई अलग-अलग रूपों में किया जा सकता है, जिनमें कॉयल, स्ट्रिप्स, शीट, प्लेट, सर्कल आदि शामिल हैं, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं हैं।

8. संबद्ध वस्तुओं का लेन-देन कई अलग-अलग फिनिश में किया जा सकता है जैसे मिल फिनिश, पॉलिश्ड फिनिश, ग्राउंड फिनिश या कोई अन्य फिनिश। फिनिश के कुछ सांकेतिक उदाहरणों में (लेकिन संपूर्ण उदाहरण नहीं है) 2बी, 2डी, बीए (ब्राइट एनील्ड), स्कॉच ब्राइट, नंबर 4, नंबर 8, पीवीडी, कलर्ड, मैक्रोमैट आदि हैं। इसके अतिरिक्त, संबद्ध वस्तुओं का लेन-देन विभिन्न एज स्थितियों, जैसे ट्रिम एज और मिल एज या किसी अन्य एज स्थिति में किया जा सकता है। इसका उत्पादन और बिक्री विभिन्न आकारों में बड़ी संख्या में की जाती है। उत्पाद के सभी रूप, आकार, फिनिश, एज स्थितियां और आकार विचाराधीन उत्पाद के दायरे में आते हैं।

9. विचाराधीन उत्पाद के दायरे में निम्नलिखित शामिल नहीं हैं:

क. स्टेनलेस स्टील के हॉट रोल्ड फ्लैट उत्पाद

ख. ब्लेड/ रेजर स्टील (जिसे जिंदल ब्लेड स्टील या जे बी एस भी कहा जाता है)

ग. कॉइन ब्लैंक

घ. स्टेनलेस स्टील के डुप्लेक्स ग्रेड

ङ. स्टेनलेस स्टील के फ्लैट उत्पादों के कोल्ड रोल्ड ऑस्टेनिटिक ग्रेड, जिनमें अधिकतम निकल सामग्री 6% तक होती है (सामान्य तौर पर 200 सीरिज के रूप में संदर्भित, यद्यपि संगत तकनीकी मानक या उद्योग की भाषा के आधार पर अन्य विवरण/ संदर्भ भी हो सकते हैं)। ऐसे ग्रेडों की सांकेतिक, लेकिन यह संपूर्ण नहीं, सूची में JT, JSLU-SD, JSLU-DD, J4, 204Cu, J1, J2, J3, J5, J6, J7, J8, N7, N5, N6, N1, N2, N3, 201 आदि शामिल हैं।

10. विचाराधीन उत्पाद सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 72 के सीमा शुल्क उप-शीर्ष 7219 और 7220 के अंतर्गत आता है। विचाराधीन उत्पाद सीमा शुल्क वर्गीकरण 721990, 721911, 721912, 721913, 721914, 721921, 721922, 721923, 721924, 721931, 721932, 721932, 721932, 721933, 721934, 721935, 721990, 722011, 722012, 722020, 722090। के अंतर्गत भारतीय बाजार में प्रवेश करता है। तथापि, यह वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच के दायरे पर किसी भी प्रकार से बाध्यकारी नहीं है।

11. आवेदक ने विभिन्न सीरिज, अर्थात् 300 सीरिज और 400- सीरिज को ध्यान में रखते हुए संगत सूचना प्रदान की है। आवेदक ने स्टेनलेस स्टील के कोल्ड रोल्ड उत्पादों के आयातों पर पूर्व जांच (मामला सं.- ए डी – एस एस आर 08/2020, दिनांक 20 जनवरी 2021) में प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई पी सी एन पद्धति का उल्लेख किया है। उक्त जांच में विचार किए गए पी सी एन नीचे पुन: दिए गए हैं:

क्र. सं.	विवरण	पी सी एन	कोड
1	उत्पाद का प्रकार	कोल्ड रोल्ड कोल्ड रोल्ड एनील्ड और पिकल्ड	1 2
2	उत्पाद का ग्रेड	301 304 304L 309 310/S 316 316/L 405 409 410 410/S 415 420 430 432 436 439 444 446 डुप्लेक्स कोई अन्य विशेष - कृपया निर्दिष्ट करें	301 304 304L 309 310S 316 316L 405 409 410 410S 415 420 430 432 436 439 444 446 DUP ORS SPC
3	उत्पाद का रूप	कॉयल	1

		प्लेट / शीट स्ट्रिप पंच्ड कॉयल सर्कल अन्य- कृपया निर्दिष्ट करें	2 3 4 7 8
4	उत्पाद की चौड़ाई	600 मिमी या उससे अधिक लेकिन 1250 मिमी तक की चौड़ाई 1250 मिमी से अधिक चौड़ाई (गैर-प्रामाणिक उपयोग)	1 2
5	मोटाई	0.5 मिमी से कम मोटाई का 0.5 मिमी और उससे अधिक लेकिन 1.00 मिमी से कम मोटाई का 1.00 मिमी और उससे अधिक लेकिन 3.00 मिमी से कम मोटाई का 3.00 मिमी और उससे अधिक से 4.00 मिमी तक मोटाई का	1 2 3 4
6	उत्पाद की फिनिश	कोई विशेष फ़िनिश नहीं विशेष फ़िनिश कृपया फ़िनिश अलग कॉलम में दर्शाएं	1 2

12. प्रस्तावित पी यू सीपी सी एन के संबंध में टिप्पणियां /, यदि कोई हों, इस जांच की शुरुआत होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत की जा सकती हैं।

ख. समान वस्तु

13. आवेदक ने यह दावा किया है कि भारत में पाटित की जा रही संबद्ध वस्तुएं, आवेदक कंपनियों द्वारा उत्पादित वस्तुओं के समान हैं। आवेदक कंपनियों द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से आयातित उत्पाद, आवश्यक उत्पाद विशेषताओं जैसे भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी, कार्य एवं उपयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण एवं विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय हैं। ये दोनों ही तकनीकी और वाणिज्यिक दृष्टि से प्रतिस्थापन योग्य हैं। आवेदक ने यह दावा किया है कि संबद्ध वस्तु के उपभोक्ता आयातित संबद्ध वस्तु और आवेदक कंपनियों द्वारा निर्मित वस्तु का परस्पर उपयोग कर रहे हैं। अत : वर्तमान जांच के प्रयोजनों के लिए, आवेदक कंपनियों द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को *प्रथम दृष्टया* संबद्ध देशों से आयात की जा रही संबद्ध वस्तु के समान वस्तु माना गया है।

ग. संबद्ध देश

14. वर्तमान जांच के संबद्ध देश चीन जन. गण., इंडोनेशिया और वियतनाम हैं।

घ. जांच की अवधि

15. वर्तमान जांच में जांच की अवधि (पी ओ आई) अप्रैल 2024 से मार्च 2025 (12 माह) की है। क्षति जांच की अवधि के रुप में वर्ष 2021-22, 2022-23, 2023-24 और जांच की अवधि को माना गया है।

ङ. घरेलू उद्योग और स्थिति

16. यह आवेदन देश में स्टेनलेस स्टील के कोल्ड रोल्ड फ्लैट उत्पादों के उत्पादकों की ओर से इंडियन स्टेनलेस स्टील डवलपमैंट एसोसिएशन द्वारा दायर किया गया है। एसोसिएशन के सदस्यों, अर्थात् जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड (जे एस एल) और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) (जिन्हें "आवेदक कंपनियां" भी कहा जाता है) ने

आवेदन में अपेक्षित सूचना प्रदान कर दी है।

17. आवेदक ने संगठित क्षेत्र से संबद्ध वस्तुओं के कतिपय घरेलू उत्पादकों की पहचान की है, जिनकी उत्पादन मात्रा अनुमानों के आधार पर प्रदान की गई है। भारत में संबद्ध वस्तुओं के कई अन्य घरेलू उत्पादक भी हैं। यह अवगत कराया गया है कि ऐसे स्टैंडअलोन कोल्ड रीरोलर या प्रोसेसर हैं-, जो कच्चा माल, अर्थात् स्टेनलेस स्टील के हॉट रोल्ड फ्लैट उत्पाद, घरेलू उत्पादकों या विदेशी उत्पादकों से प्राप्त करते हैं। आवेदक ने असंगठित क्षेत्ररोलर्स -री / द्वारा उत्पादन का अनुमान आवेदक कंपनियों की बिक्री और स्टेनलेस स्टील के हॉट रोल्ड उत्पाद बनाने वाले अन्य साथ उनके द्वारा किए गए स्टेनलेस स्टील के हॉट रोल्ड -रोलर्स को अनुमानित बिक्री के साथ-उत्पादकों की इन री फ्लैट उत्पादों के आयातों को ध्यानमें रखते हुए लगाया है, जिन्हें बाद में स्टेनलेस स्टील के कोल्ड रोल्ड फ्लैट उत्पादों में परिवर्तित कर दिया गया है।

18. रिकार्ड में उपलब्ध सूचना के अनुसार, आवेदक कंपनियों का उत्पादन भारत में समान वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा है। आवेदक कंपनियों ने यह अनुरोध किया है कि उन्होंने संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं का आयात नहीं किया है और न ही वे संबद्ध देशों में किसी निर्यातक या उत्पादक से संबंधित हैं।

19. इसके आलोक में, उपलब्ध सूचना के आधार पर, प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि आवेदन घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 2(ख) में निहित प्रावधानों के अनुसार किया गया है और यह आवेदन पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 5(3) की अपेक्षाओं को पूरा करता है।

च. कथित पाटन का आधार

क. चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य

20. घरेलू उद्योग ने चीन के एक्सेसन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(क)(i) का संदर्भ दिया है और उस पर भरोसा किया है। घरेलू उद्योग ने यह दावा किया है कि चीन जन. गण. के उत्पादकों को यह प्रदर्शित करने का निर्देश दिया जाना चाहिए कि विचाराधीन उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में नियमावली के अनुबंध 1 के पैरा 8(3) के अनुसार, उद्योग में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां मौजूद हैं। घरेलू उद्योग द्वारा यह कहा गया है कि यदि चीन के प्रतिवादी उत्पादक यह प्रदर्शित करने में असमर्थ हैं कि उनकी लागतों और कीमत से संबंधित सूचना बाजार से संचालित है, तो सामान्य मूल्य का निर्धारण नियमावली के अनुबंध I के पैरा 7 और 8 के अनुसार किया जाना चाहिए।

21. घरेलू उद्योग ने यह दावा किया है कि बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में लागत या कीमत या बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में निर्मित मूल्य से संबंधित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। घरेलू उद्योग ने जापान से निर्यात के आधार पर चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है, जिसने भारत में महत्वपूर्ण मात्रा में ग्रेड का आयात किया है और उसका प्रसार किया है। जिन ग्रेड का आयात जापान से नहीं किया गया है, उनके लिए आवेदक द्वारा निकटतम समतुल्य प्रसार हेतु उपलब्ध सूचना में समायोजन करके सामान्य मूल्य का अनुमान लगाया गया है। जांच शुरू करने के उद्देश्य से चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य का निर्माण, बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय और लाभ को विधिवत समायोजित करने के बाद भारत में उत्पादन की लागत के अनुमानों पर विचार करते हुए, उपलब्ध सर्वोत्तम तथ्यों के आधार पर किया गया है।

ख. वियतनाम और इंडोनेशिया के लिए सामान्य मूल्य

22. आवेदक ने यह तर्क दिया है कि इंडोनेशिया में निर्यातकों द्वारा उल्लिखित की गई उत्पादन लागत वास्तविक उत्पादन लागत को नहीं दर्शाती क्योंकि यह सरकारी सब्सिडी और बाज़ार हस्तक्षेपों के कारण काफ़ी विकृत है। इंडोनेशिया के संबंध में, आवेदक ने यह भी बताया है कि इस्पात क्षेत्र व्यापक सरकारी हस्तक्षेप के अधीन है और यूरोपीय संघ तथा भारत ने पूर्व में प्रतिसंतुलनकारी शुल्क जांचों में स्टेनलेस स्टील उत्पादों के संबंध में सब्सिडी की मौजूदगी को स्थापित किया है। इस प्रकार, इंडोनेशिया में उत्पादकों द्वारा कच्चे माल की लागत को अस्वीकार किया जाना चाहिए या संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन और बिक्री की वास्तविक लागतों को उचित रूप से दर्शाने के लिए उचित रूप से समायोजित किया जाना चाहिए। वियतनाम के संबंध में, यह अनुरोध किया गया है कि देश में स्टेनलेस स्टील पिघलने की कोई क्षमता नहीं है और इसलिए, स्टेनलेस स्टील के उत्पादन के लिए आवश्यक इनपुट वियतनाम में उत्पादित नहीं होता है और इसे चीन जन. गण. और इंडोनेशिया से प्राप्त किया जाता है। यह अनुरोध किया गया है कि निर्यातकों द्वारा बताई गई लागतें चीन जन. गण. और इंडोनेशिया से प्राप्त हॉटरोल्ड स्टेनलेस -

स्टील इनपुट पर आधारित हैं, जो दोनों ही गैर बाज़ार स्थितियों-और सब्सिडी के कारण विकृत हैं।

23. उपर्युक्त को देखते हुए, आवेदक ने जांच की अवधि के दौरान जापान के लिए एमईपीएस रिपोर्ट द्वारा प्रस्तुत हॉट-रोल्ड स्टेनलेस स्टील की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के आधार पर वियतनाम और इंडोनेशिया के लिए सामान्य मूल्य निर्धारित किया है। चूंकि एमईपीएस रिपोर्ट केवल कतिपय ग्रेड 430 एच आर स्टेनलेस स्टील ग्रेड), और 316 304) के लिए ही कीमत प्रदान करती है, इसलिए इन्हें अन्य ग्रेड की कीमतों का अनुमान लगाने के लिए उपयुक्त रूप से समायोजित किया गया है। इसके बाद, सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना, अर्थात् घरेलू उद्योग के आंकड़ों के आधार पर रूपांतरण लागत और उपभोग मानदंडों को लागू करके सामान्य मूल्य का निर्माण किया गया है। उत्पादन की निर्मित लागत को बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय और उचित लाभ के लिए समायोजित किया गया है। जांच शुरू करने के उद्देश्य से इंडोनेशिया और वियतनाम के लिए सामान्य मूल्य, उपलब्ध तथ्यों के आधार पर तैयार किया गया है, जिसमें भारत में उत्पादन लागत, बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय और उचित लाभ के लिए विधिवत समायोजित मूल्य को ध्यान में रखा गया है।

ग . निर्यात कीमत

24. आवेदक ने अपने बाजार आसूचना के अनुसार आयातों की मात्रा और मूल्य पर विचार करके संबद्ध देशों के लिए निर्यात कीमत का निर्धारण किया है। तथापि, *प्रथम दृष्टया* मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए, कारखानाबाह्य निर्यात - -कीमत का पता लगाने के लिए लेनदेनवार डीजीसीआई एंड एस के आंकड़ों को अपनाया गया है। समुद्री माल भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, बैंक शुल्क, बंदरगाह व्यय, अंतर्देशीय माल भाड़ा, कमीशन और ऋण लागत के कारण समायोजन किया गया है।

25. घ . पाटन मार्जिन

26. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना कारखाना बाह्य स्तर पर की गई है, जिससे *प्रथम दृष्टया* यह पता चलता है कि पाटन मार्जिन न्यूनतम के स्तर से ऊपर है और संबद्ध देशों से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में महत्वपूर्ण है। इस प्रकार, *प्रथम दृष्टया* पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं कि संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद का संबद्ध देशों के निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में पाटन किया जा रहा है।

27. आवेदक ने प्रत्येक संबद्ध देश से दो उत्पादकोंनिर्यातकों के नमूने लेने का अनुरोध किया है /, जिसमें कहा गया है कि संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तुओं के कई उत्पादक निर्यातक मौजूद हैं। /उत्पाद की जटिलता और उत्पाद के प्रकारों की बड़ी संख्या होने के कारण, विस्तृत जांच के लिए आंकड़ों की मात्रा काफी महत्वपूर्ण होगी। निर्धारित समयसीमा - के अनुसार 17 के भीतर और नियमावली के नियम, जांच पूरी करने के लिए, प्राधिकारी सैम्पल का सहारा लेंगे, अर्थात चयन के समय उपलब्ध सूचना के आधार पर सांख्यिकीय रूप से मान्य नमूनों का उपयोग करके, अपने जांच परिणामों को हितबद्ध पक्षकारों या वस्तुओं की उचित संख्या तक सीमित रखेंगे या संबद्ध देशों से निर्यात की मात्रा के अधिकतम प्रतिशत तक सीमित रखेंगे।

छ. क्षति और कारणात्मक संबंध

28. आवेदक कंपनियों, अर्थात् जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत सूचना पर, संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति का आकलन करने के लिए विचार किया गया है। संबद्ध देशों से संबद्ध आयातों की मात्रा में निरपेक्ष और सापेक्ष दोनों ही दृष्टियों से वृद्धि हुई है। प्रत्येक संबद्ध देश से और समग्र रूप से कीमत कटौती सकारात्मक और महत्वपूर्ण है। यह दावा किया गया है कि आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों में कमी हो रही हैं। क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी में गिरावट आई है, जबकि क्षति अवधि के दौरान संबद्ध आयातों की हिस्सेदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यद्यपि आवेदक के उत्पादन और बिक्री में बढ़ती मांग और क्षमता के साथ वृद्धि हुई है, फिर भी उसने दावा किया है कि पाटित आयातों के प्रतिकूल प्रभाव के कारण, लाभ, नकदी लाभ और निवेश पर प्रतिफल के मामले में उसका प्रदर्शन ख़राब हुआ है। घरेलू उद्योग ने यह भी दावा किया है कि संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण क्षति होने की आशंका है।

29. उपर्युक्त से, प्राधिकारी को *प्रथम दृष्टया* संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के पाटन, घरेलू उद्योग को क्षति तथा कथित पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के पर्याप्त साक्ष्य मौजूद प्रतीत होते हैं, जो नियमावली के नियम के अनुसार पाटनरोधी जांच शुरू करने 5, कथित पाटन की मौजूदगी, परिमाण और प्रभाव का निर्धारण करने तथा पाटनरोधी शुल्क की राशि की सिफारिश करने के लिए उचित ठहराते हैं, जिसे यदि

लगाया जाता है तो घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगी।

ज. शुल्कों का पूर्वव्यापी अधिरोपण

30. घरेलू उद्योग ने संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर पूर्वव्यापी प्रभाव से पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने का अनुरोध किया है। घरेलू उद्योग ने यह दावा किया है कि निम्नलिखित कारणों से पूर्वव्यापी प्रभाव से शुल्क लगाया जाना आवश्यक है:

क . भारत में पाटन का इतिहास रहा है, जैसा कि विचाराधीन उत्पाद पर पूर्व में की गई जांच से स्पष्ट है।

ख . आयातक को पाटन के संबंध में सूचना होनी चाहिए थी, क्योंकि विगत जांचों से प्राप्त अनुभवों से यह पता चला था कि पाटन का निर्धारण किस कीमत स्तर पर किया गया था।

ग . अपेक्षाकृत कम अवधि, अर्थात् जांच की अवधि में, काफी पाटन हुआ है। जांच की अवधि में संबद्ध देशों से पाटित आयातों में आधार वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई है। क्षति अवधि के दौरान, संबद्ध आयातों में 40% की वृद्धि हुई है।

घ . शुल्क न लगाए जाने से पाटन के उपचारात्मक प्रभाव कम होने की संभावना है।

झ. पाटनरोधी जांच की शुरुआत

31. घरेलू उद्योग द्वारा विधिवत प्रमाणित आवेदन के आधार पर, और घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत किए गए *प्रथम दृष्टया* साक्ष्यों के आधार पर, जो पाटन और उसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को हुई क्षति की पुष्टि करते हैं, स्वयं को संतुष्ट करते हुए, प्राधिकारी अधिनियम की धारा के अनुसार 5 9क के साथ पठित नियमावली के नियम, कथित पाटन और उसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को हुई भौतिक क्षति की पाटनरोधी जांच की शुरुआत करते हैं, ताकि कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण किया जा सके और पाटन संबंधी शुल्क की राशि की सिफारिश की जा सके, जिसे यदि लगाया जाता है तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगी।

ञ. प्रक्रिया

32. वर्तमान जांच में नियम के अंतर्गत निर्धारित सिद्धांतों का पालन किया जाएगा। 6

ट. सूचना की प्रस्तुति

33. निर्दिष्ट प्राधिकारी को सभी पत्राचार ईमेल पते jd12-dgtr@gov.in और ad12-dgtr@gov.in पर ईमेल द्वारा भेजे जाने चाहिए, साथ ही dir15-dgtr@gov.in, consultant- और dgtr@govcontractor.in पर भी इसकी एकएक प्रति भेजी जानी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का विस्तृत भाग सर्च योग्य - पीडीएफ/ एमएस-वर्ड फार्मेट में हो और डेटा फ़ाइलें एमएस-एक्सल फार्मेट में हों।

34. संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों, भारत में स्थित अपने दूतावास के माध्यम से संबद्ध देशों की सरकार और भारत में संबद्ध वस्तुओं से जुड़े ज्ञात आयातकों और उपयोगकर्ताओं को अलग से सूचित किया जा रहा है ताकि वे इस जांच शुरुआत अधिसूचना में उल्लिखित की गई समयसीमा के भीतर सभी संगत सूचना प्रस्तुत कर सकें। ऐसी - समस्त सूचना इस जांच शुरुआत अधिसूचना, नियमावली और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं द्वारा निर्धारित प्रारूप में और निर्धारित तरीके से प्रस्तुत की जानी चाहिए।

35. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी इस जांच शुरुआत अधिसूचना, नियमावली और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं द्वारा निर्धारित किए गए प्रारूप में और निर्धारित तरीके से, इस जांच शुरुआत अधिसूचना में उल्लिखित समयसीमा के- भीतर, वर्तमान जांच से संबंधित अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है।

36. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी भी पक्षकार को उसका एक अगोपनीय पाठ अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराना आवश्यक है।

37. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी निर्देश दिया जाता है कि वे व्यापार उपचार महानिदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट)https://www.dgtr.gov.in/) को नियमित रूप से देखते रहें ताकि वे जांच के संबंध में सूचना और आगे की प्रक्रिया के बारे में अद्यतन और अवगत रहें।

ठ. समय सीमा

38. वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी सूचना निर्दिष्ट प्राधिकारी को jd12-dgtr@gov.in, और ad12-dgtr@gov.in पर ईमेल के माध्यम से भेजी जानी चाहिए, साथ ही उसकी एक एक प्रति-dir15-dgtr@gov.in, consultant- और dgtr@govcontractor.in पर भी भेजी जानी चाहिए। यह सूचना उस तिथि से 30 दिनों के भीतर भेजी जानी चाहिए, जिस दिन घरेलू उद्योग द्वारा दायर किए गए आवेदन का अगोपनीय पाठ निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा प्रसारित किया जाएगा या निर्यातक देशों के उपयुक्त राजनयिक प्रतिनिधि को प्रेषित किया जाएगा, जैसा कि पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार है। तथापि, यह उल्लेखनीय है कि उक्त नियम के स्पष्टीकरण के अनुसार, सूचना और अन्य दस्तावेजों के लिए आवेदन करने संबंधी सूचना निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा भेजे जाने या निर्यातक देशों के उपयुक्त राजनयिक प्रतिनिधि को प्रेषित किए जाने की तारीख से एक सप्ताह के भीतर प्राप्त हुआ माना जाएगा। यदि निर्धारित की गई समय-सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त हुई सूचना अधूरी पाई जाती है, तो प्राधिकारी रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर और नियमों के अनुसार अपने जाच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

39. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा यह परामर्श दिया जाता है कि वे इस मामले में अपने हित हित की प्रकृति) सीमा के भीतर प्रश्नावली -के संबंध में सूचित करें और इस अधिसूचना में निर्धारित की गई उपरोक्त समय (सहित के उत्तर दाखिल करें।

40. जहां कोई हितबद्ध पक्षकार अनुरोध दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग करता है, तो उसे पाटनरोधी नियमावली, 6 के नियम 1995(4) के अनुसार ऐसे समय विस्तार के लिए पर्याप्त कारण दर्शाना होगा और ऐसा अनुरोध इस अधिसूचना में निर्धारित की गई समयसीमा के भीतर किया जाना चाहिए।-

ड. गोपनीय आधार पर सूचना की प्रस्तुति

41. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले या गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले किसी भी पक्षकार को, नियम 8(2) और इस संबंध में जारी की गई व्यापार सूचनाओं के अनुसार, उसका एक अगोपनीय पाठ भी प्रस्तुत करना आवश्यक है। उपरोक्त का पालन न किए जाने पर उत्तरअनुरोधों को अस्वीकृत किया जा / सकता हैं।

42. प्राधिकारी के समक्ष प्रश्नावली के उत्तर सहित कोई भी अनुरोध (अनुलग्नक सहित /उसके साथ संलग्न परिशिष्ट) अलग प्रस्तुत करने होंगे।-प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों को गोपनीय और अगोपनीय पाठ अलग

43. अगोपनीय" या "गोपनीय"" अनुरोधों को प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर स्पष्ट रूप से " गोपनीय " या "अगोपनीय" के रूप में अंकित किया जाना चाहिए। इस प्रकार से अंकित किए बिना प्रस्तुत किए गए किसी भी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोधों का निरीक्षण करने की अनुमति प्रदान करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

44. गोपनीय पाठ में वह सभी सूचना शामिल होगी जो गोपनीय प्रकृति की है औरया अन्य सूचना जिसे ऐसी सूचना / का आपूर्तिकर्ता गोपनीय होने का दावा करता है। ऐसी सूचना जिसके गोपनीय प्रकृति की होने का दावा किया जाता है या जिस सूचना की गोपनीयता का दावा अन्य कारण से किया जाता है, उसके लिए सूचना के आपूर्तिकर्ता को दी गई सूचना के साथ एक उचित कारण का विवरण भी प्रस्तुत करना होगा कि ऐसी सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता।

45. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना का अगोपनीय पाठ, गोपनीय पाठ की प्रतिकृति होना चाहिए, जिसमें गोपनीय सूचना को अधिमानतः अनुक्रमित या रिक्त स्थान दिया गया हो जहां अनुक्रमण किया जाना) और ऐसी सूचना को उस सूचना के आधार पर उचित और पर्याप्त रूप से संक्षेप में दिया जाना चाहिए (संभव न हो जिस पर गोपनीयता का दावा किया गया है।

46. अगोपनीय सारांश में पर्याप्त विवरण होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना के सार को उचित रूप से समझा जा सके। तथापि, असाधारण परिस्थितियों में, गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाला पक्षकार यह उल्लेख कर सकता है कि ऐसी सूचना का सारांश प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है और नियमावली, के 1995 के अनुसार पर्याप्त और समुचित स्पष्टीकरण सहित कारणों का एक विवरण 8 नियम, और प्राधिकारी द्वारा जारी उपयुक्त व्यापार सूचना, कि ऐसा सारांश क्यों संभव नहीं है, प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए प्रदान की जानी चाहिए।

47. हितबद्ध पक्षकार इस जांच शुरुआत अधिसूचना के पैरा 37 के अनुसार दस्तावेजों के अगोपनीय पाठ के प्रसारित

होने की तारीख से 07 दिनों के भीतर घरेलू उद्योग द्वारा दावा किए गए गोपनीयता के मामलों पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकते हैं।

48. गोपनीयता के दावे पर नियमावली के नियम के अनुसार सार्थक अगोपनीय पाठ या पर्याप्त कारण का विवरण 8 और प्राधिकारी द्वारा जारी की गई उचित व्यापार सूचनाओं के बिना प्रस्तुत किए गए किसी भी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकार्ड में नहीं लिया जाएगा।

49. प्राधिकारी प्रस्तुत की गई सूचना की प्रकृति की जांच करने के बाद गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध उचित नहीं है या यदि सूचना का प्रदाता सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्यीकृत या संक्षिप्त रूप में इसका प्रकटीकरण करने को अधिकृत करने के लिए अनिच्छुक है, तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

50. प्राधिकारी, प्रदान की गई सूचना की गोपनीयता की आवश्यकता से संतुष्ट होने और स्वीकार किए जाने पर, ऐसी सूचना प्रदान करने वाले पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी भी पक्षकार को इसका प्रकटन नहीं करेंगे।

51. पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी और साथ ही उन सभी से अनुरोध किया जाएगा कि वे अपने अनुरोधसूचना का अगोपनीय पाठ अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को /उत्तर / सूचना का अगोपनीय पाठ प्रसार /उत्तर /ईमेल करें। अनुरोधित न किए जाने पर हितबद्ध पक्षकारों को असहयोगी माना जा सकता है।

ढ. सार्वजनिक फ़ाइल का निरीक्षण

52. पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी और साथ ही उन सभी से यह अनुरोध किया जाएगा कि वे अपने अनुरोध का अगोपनीय पाठ अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को ईमेल करें। अनुरोध का अगोपनीय पाठ प्रसारित न किए जाने पर इस जांच शुरुआत अधिसूचना की धारा ण के अंतर्गत कार्रवाई की जा सकती है।

ण. असहयोग

53. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर या इस जांच शुरुआत अधिसूचना में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर या बाद में पृथक संचार के माध्यम से प्रदान की गई समयावधि के भीतर आवश्यक सूचना तक पहुंच से इनकार करता है और अन्यथा प्रदान नहीं करता है, या जांच में महत्वपूर्ण बाधा डालता है, तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केंद्र सरकार को ऐसी सिफारिशें कर सकते हैं जो वह उचित समझें।

सिद्धार्थ महाजन, निर्दिष्ट पदाधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(Directorate General of Trade Remedies)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 29th September, 2025

Case No. AD (OI)-25/2025

Subject: Initiation of anti-dumping investigation concerning imports of "Cold rolled flat products of 300 and 400 series" originating in or exported from China PR, Indonesia and Vietnam.

1. **F.NO.6/28/2025-DGTR.—**Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred to as the "Act") and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping duty on Dumped Articles for Determination of Injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter referred to as the "Rules" or the "Anti-dumping Rules"), Indian Stainless Steel Development Association (ISSDA) (hereinafter referred to as 'Applicant' or 'Applicant Association') has filed an application

on behalf of domestic industry before the Designated Authority (hereinafter referred to as the "Authority"), for initiation of an anti-dumping investigation concerning imports of "Cold Rolled Flat Products of Stainless Steel of 300 and 400 Series" (hereinafter referred to as "subject goods" or "product under consideration" or "PUC"), originating in or exported from China PR, Indonesia and Vietnam (hereinafter referred to as "subject countries").

2. The Applicant has alleged that injury being caused to the domestic industry due to alleged dumped imports, originating in or exported from subject countries and has requested for the imposition of anti-dumping duty on the imports of the subject goods from the subject countries. The Applicant has also sought interim and retrospective duties on import of subject goods from the subject countries.

A. PRODUCT UNDER CONSIDERATION

3. The product under consideration in the present investigation is "certain cold rolled ferritic, martensitic and austenitic grades of flat productions of stainless steel". The product under consideration is popularly known as "**Cold-Rolled Flat Products of Stainless Steel of 300 and 400 Series**". Based on grades/specification/chemistry, the product under consideration covers the following:

   a. All **austenitic** grades of stainless steel with minimum nickel content of 6 percent by composition (normally referred to as **300 series** although there can be other description/references as well depending on the relevant technical standard or industry parlance)

   b. All **ferritic** and **martensitic** grades of stainless steel (normally referred to as **400 series** although there can be other description/references as well depending on the relevant technical standard or industry parlance)

4. The above mentioned austenitic, ferritic and martensitic grades also include any proprietary and patented grades which conform to the above description. Further, any grade which is not a part of any international standard is also covered to the extent that it meets the requirements of ferritic, martensitic or austenitic grades as specified above.

5. The scope of the product under consideration includes all forms and types of the above-mentioned grades/specification/chemistry, including products which have also been subjected to further finishing, working or processing after cold rolling, of any kind. Indicative (but not exhaustive examples) of such finishing working or processing include annealing, tempering, pickling, de-scaling, stamping, polishing, grinding, mechanical working, coating, surface treatment etc.

6. Cold Rolled Flat Products of Stainless Steel also include Flat Rolled products which may have patterns in relief derived directly from rolling such as grooves, ribs, chequers etc. or they may have been worked after rolling e.g. perforated, corrugated etc.

7. Stainless steel is a corrosion-resistant alloy of iron, chromium, and other metals. The product under consideration can be transacted in a number of different forms, including but not limited to coils, strips, sheets, plates, circles etc.

8. Subject goods can be transacted in a number of different finishes such as mill finishes, polished finishes, ground finishes or any other finish. Some indicative (but not exhaustive) examples of finishes are 2B, 2D, BA (bright annealed), Scotch Bright, Number 4, Number 8, PVD, colored, macromatt etc. Further, the subject goods can be transacted in different edge conditions i.e., trim edge and mill edge or any other edge condition. It is produced and sold in a large number of different sizes. All forms, shapes, finishes, edge conditions and sizes of the product are under the scope of the product under consideration.

9. The scope of product under consideration specifically excludes the following:

   a. Hot rolled flat products of stainless steel

   b. Blade/razor steel (also known as Jindal blade steel or JBS)

   c. Coin blanks

   d. Duplex grades of stainless steel

   e. Cold rolled austenitic grades of stainless-steel flat products where the maximum nickel content is up to 6% (normally referred to as 200 series although there can be other description/references as well depending on the relevant technical standard or industry parlance). Indicative, but not exhaustive list of such grades includes JT, JSLU-SD, JSLU-DD, J4, 204Cu, J1, J2, J3, J5, J6, J7, J8, N7, N5, N6, N1, N2, N3, 201 etc.

10. The product under consideration falls under customs sub-heading 7219 and 7220 of Chapter 72 of the Customs Tariff Act, 1975. The product under consideration entering the Indian market under Customs classification 721990, 721911, 721912, 721913, 721914, 721921, 721922, 721923, 721924, 721931, 721932, 721932, 721932, 721933, 721934, 721935, 721990, 722011, 722012, 722020, 722090. The classification is, however, indicative only and in no way binding on the scope of the present investigation.

11. The Applicant has provided relevant information considering different series i.e., 300 series and 400-series. Applicant has referred to the PCN methodology adopted by the Authority in past investigation on imports of cold rolled products of stainless steel (Case No-AD-SSR 08/2020 dated 20th January 2021). The PCN considered in the said investigation is reproduced below:

S.No.	Description	PCN	Code
1	Product type	Cold Rolled Cold Rolled Annealed & Pickled	1 2
2	Grade of the Product	301 304 304L 309 310/S 316 316/L 405 409 410 410/S 415 420 430 432 436 439 444 446 Duplex Any Other Special – Pl Specify	301 304 304L 309 310S 316 316L 405 409 410 410S 415 420 430 432 436 439 444 446 DUP ORS SPC
3	Form of the Product	Coil Plate / Sheet Strips Punched Coil Circles Other- Pl specify	1 2 3 4 7 8
4	Width of the Product	Of a width 600 MM or more but upto 1250MM Of a width more than 1250MM (Non-bonafide Uses)	1 2
5	Thickness	Of a thickness of less than 0.5MM Of a thickness of 0.5MM and above but less than 1.00 MM Of a thickness of 1.00 MM and above but less than 3.00 MM Of a thickness of 3.00 MM and above upto 4.00 MM	1 2 3 4
6	Finish of the Product	No Special finish Special finish Pl specify finish in separate column	1 2

12. Comments with regards to the proposed PUC/PCN, if any, may be filed within 15 days from the date of initiation of this investigation.

B. LIKE ARTICLE

13. The Applicant has claimed that the subject goods, which are being dumped into India, are comparable to the goods produced by the applicant companies. The product produced by the applicant companies and imported from the subject countries are comparable in terms of essential product characteristics such as physical and chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & usage, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable. The applicant has claimed that consumers of the subject goods are using the imported subject goods and the article manufactured by the applicant companies interchangeably. Hence, for the purposes of the present investigation, the subject goods produced by the applicant companies have been *prima facie* considered as 'like article' to the subject goods being imported from the subject countries.

C. SUBJECT COUNTRIES

14. The subject countries for the present investigation are China PR, Indonesia and Vietnam.

D. PERIOD OF INVESTIGATION

15. The period of investigation (POI) in the present investigation is April 2024- March 2025 (12 months). The injury

investigation period has been considered as 2021-22, 2022-23, 2023-24, and the period of investigation.

E. DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING

16. The Application has been filed by Indian Stainless Steel Development Association on behalf of the producers of Cold Rolled Flat Products of Stainless-Steel in the country. Members of the association, viz., Jindal Stainless Limited (JSL) and Steel Authority of India Limited (SAIL) (also referred to as "Applicant companies") have provided requisite information in the application.

17. The applicant has identified certain domestic producers of the subject goods from the organized sector whose production volume has been provided based on estimates. There are also a number of other domestic producers of the subject goods in India. It has been stated that there are standalone cold re-rollers or processors, who source the raw material, i.e., Hot Rolled Flat products of stainless steel, either from the domestic producers or from foreign producers. The applicant has estimated the production by the unorganized sector/ re-rollers, by considering sales of the applicant companies and estimated sales of the other producers producing hot rolled products of stainless steel to these rerollers along with imports made by them of Hot rolled flat products of stainless steel which has then been converted to cold rolled flat products of stainless steel.

18. As per the information available on record, the production of the applicant companies accounts for a major proportion of the total domestic production of like article in India. The Applicant companies have submitted that they have not imported the subject goods from the subject countries nor are they related to any exporter or producer in the subject countries.

19. In view of the same, on the basis of information available, the Authority is satisfied that the Application has been made by or on behalf of the domestic industry in terms of the provisions contained in Rule 2(b) of the ADD Rules, 1995 and the application satisfies the requirements of Rule 5(3) of the ADD Rules, 1995.

F. BASIS OF ALLEGED DUMPING

a. Normal Value for China PR

20. The domestic industry has cited and relied upon Article 15(a)(i) of China's Accession protocol. The domestic industry has claimed that the producers in China PR should be directed to demonstrate that market economy conditions prevail in the industry with regard to production and sales of the subject goods in terms of Para 8(3) of Annexure I of the Rules with regard to manufacture production and slae of product under consideration. It has been stated by the domestic industry that in case the responding Chinese producers are not able to demonstrate that their costs and price information are market driven, the normal value should be determined in terms of Para 7 and 8 of Annexure I of the Rules.

21. The domestic industry has claimed that the data relating to cost or price in market economy third country or constructed value in a market economy third country is not available. The domestic industry has determined normal value for China PR based on imports from Japan, which has exported a significant volume and spread of grades to India. For grades that have not been imported from Japan, normal value has been estimated by the applicant by making adjustments to the information available for the closest equivalent spread. Normal value for China PR, for the purpose of initiation of the investigation, has been constructed based on best facts available, considering the estimates of the cost of the production in India after duly adjusting the selling, general and administrative expenses and profits.

b. Normal value for Vietnam and Indonesia

22. The applicant has contended that the costs of production reported by exporters in Indonesia does not reflect actual cost of production as it is significantly distorted by government subsidization and market interventions. With regard to Indonesia, the applicant has further pointed out that the steel sector is subject to extensive state intervention and that the European Union as well as India has, in earlier countervailing duty investigations, established the existence of subsidization in respect of stainless-steel products. Thus, cost of raw material by producers in Indonesia is required to be rejected or appropriately adjusted to reasonably reflect the actual costs of production and sale of the subject goods. With respect to Vietnam, it has been submitted that the country **does not possess any capacities for Stainless Steel melting and therefore, the input required for** production of stainless steel is not produced in Vietnam and is sourced from China PR and Indonesia. It has been submitted that the exporters' reported costs are based on hot-rolled stainless-steel inputs sourced from China PR and Indonesia, both of which are distorted by non-market conditions and subsidization.

23. In view of the above, the applicant has determined the normal value for Vietnam and Indonesia on the basis of international prices of hot-rolled stainless steel as reported by MEPS report for Japan during the period of investigation. Since the MEPS report provides prices only for certain grades (HR stainless steel grades 430, 316 and 304), these have been suitably adjusted to estimate the prices for other grades. The normal value has thereafter been constructed by applying conversion costs and consumption norms based on the best available information, i.e., the domestic industry's data. The constructed cost of production has further been adjusted for

selling, general and administrative expenses and a reasonable profit. Normal value for Indonesia and Vietnam, for the purpose of initiation of the investigation, has been constructed based on facts available, considering cost of production in India, duly adjusted for selling, general and administrative expenses and reasonable profits.

c. Export Price

24. The applicant has determined the export price for the subject countries by considering the volume and value of imports as per its market intelligence. However, for the purpose of the *prima facie* assessment, transaction wise DGCI&S data has been adopted for ascertaining ex-factory export price. Adjustments on account of ocean freight, marine insurance, commission, bank charges, port expenses, inland freight, commission, and credit costs.

d. Dumping Margin

25. The normal value and the export price have been compared at ex-factory level, which *prima facie* shows that the dumping margin is above the *de-minimis* level and is significant with respect to the product under consideration exported from the subject countries. Thus, there is sufficient *prima facie* evidence that the product under consideration from the subject countries is being dumped in the Indian market by the exporters from the subject countries.

26. The applicant has requested for the sampling of two producers/ exporters from each of the subject countries, stating that there exist multiple producers/ exporters of the subject goods in the subject countries. Owing to complexity of the product and large number of product types, the quantum of data shall be quite significant to accommodate elaborate investigations. In order to complete the investigation within the prescribed time limits, and in terms of Rule 17 of the Rules, the Authority would resort to sampling i.e., limiting its findings either to a reasonable number of interested parties or articles by using statistically valid samples based on information available at the time of selection or to the largest percentage of the volume of exports from the subject countries.

G. INJURY AND CAUSAL LINK

27. Information furnished by the applicant companies i.e., Jindal Stainless Limited and Steel Authority of India Limited, has been considered for assessment of injury to the domestic industry on account of dumped imports of the subject goods from subject countries. The volume of the subject imports from the subject countries have increased in both absolute as well as relative terms. The price undercutting from each of the subject countries and as a whole is positive and significant. It has been claimed that imports are depressing the prices of the domestic industry. The market share of domestic industry has declined over the injury period whereas that of subject imports has increased significantly over injury period. While the applicant's production and sales have increased with increasing demand and capacity, it has claimed that because of the adverse effect of dumped imports, its performance has deteriorated in respect of profits, cash profit, and return on investment. The domestic industry has also claimed that there is a threat of injury due to dumped imports from the subject countries.

28. From the foregoing, the Authority *prima facie* finds sufficient evidence of dumping of the subject goods originating in or exported from the subject countries, injury to the domestic industry and causal link between the alleged dumping and injury exist to justify initiation of an anti-dumping investigation in terms of Rule 5 of the Rules, to determine the existence, degree, and effect of alleged dumping and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove injury to the domestic industry.

H. RETROSPECTIVE IMPOSITION OF DUTIES

29. The domestic industry has requested for retrospective imposition of the anti-dumping duty on imports of the product under consideration from the subject countries. The domestic industry has claimed that retrospective imposition is necessary due to the following:

a. There is a history of dumping in India as is evident from the fact of past investigation on the product under consideration.

b. The importer should have been aware of dumping, based on experiences from the past investigations which established the price levels at which dumping was determined.

c. There is significant dumping in a relatively short period, i.e., in the POI. The dumped imports from the subject counties in the POI have increased compared to the base year. Over the injury period, there has been an increase of 40% in the subject imports.

d. Non imposition of duty is likely to undermine the remedial effects of dumping.

I. INITIATION OF ANTI-DUMPING INVESTIGATION

30. On the basis of the duly substantiated application by the domestic industry, and having satisfied itself on the basis of *prima facie* evidence submitted by the domestic industry substantiating the dumping and consequent injury to the domestic industry, the Authority hereby initiates an anti-dumping investigation into the alleged dumping and consequent material injury to the domestic industry in accordance with Section 9A of the Act read

with Rule 5 of the Rules, to determine the existence, degree, and effect of alleged dumping and to recommend the amount of dumping duty, which if levied would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

J. PROCEDURE

31. The principles as stipulated under Rule 6 Rules shall be followed in the present investigation.

K. SUBMISSION OF INFORMATION

32. All communication should be sent to the Designated Authority via email at email addresses jd12-dgtr@gov.in, and ad12-dgtr@gov.in with a copy to dir15-dgtr@gov.in, and consultant- dgtr@govcontractor.in. It must be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/MS-Word format and data files are in MS-Excel format.

33. The known producers/exporters in the subject countries, the government of the subject countries through its embassy in India, and the importers and users in India who are known to be associated with the subject goods are being informed separately to enable them to file all the relevant information within the time limits mentioned in this initiation notification. All such information must be filed in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the Rules, and the applicable trade notices issued by the Authority.

34. Any other interested party may also make a submission relevant to the present investigation in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the Rules, and the applicable trade notices issued by the Authority within the time limits mentioned in this initiation notification.

35. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other interested parties.

36. Interested parties are further directed to regularly visit the official website of the Directorate General of Trade Remedies (https://www.dgtr.gov.in/) to stay update and apprised with the information as well as further processed related to the investigation.

L. TIME LIMIT

37. Any information relating to the present investigation should be sent to the Designated Authority via email to jd12-dgtr@gov.in, and ad12-dgtr@gov.in with a copy to dir15-dgtr@gov.in, and consultant-dgtr@govcontractor.in. within 30 days from the date on which the non-confidential version of the application filed by the domestic industry would be circulated by the Designated Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting countries as per Rule 6(4) of the ADD Rules. It may, however, be noted that in terms of explanation of the said Rule, the notice calling for information and other documents shall be deemed to have been received within one week from the date on which it was sent by the Designated Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting countries. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings based on the facts available on record and in accordance with the Rules.

38. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit as stipulated in this notification.

39. Where an interested party seeks additional time for filing of submissions, it must demonstrate sufficient cause for such extension in terms of Rule 6(4) of the ADD Rules, 1995 and such request must come within the time stipulated in this notification.

M. SUBMISSION OF INFORMATION ON CONFIDENTIAL BASIS

40. Any party making any confidential submission or providing information on confidential basis before the Authority, is required to simultaneously submit a non-confidential version of the same in terms of Rule 8(2) of the Rules and the Trade Notices issued in this regard. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response/ submissions.

41. The parties making any submission (including Appendices/ Annexures attached thereto), before the Authority including questionnaire response, are required to file Confidential and Non- Confidential versions separately.

42. The "confidential" or "non-confidential" submissions must be clearly marked as "confidential" or "non-confidential" at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions.

43. The confidential version shall contain all information which is by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information which is claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as

to why such information cannot be disclosed.

44. The non-confidential version of the information filed by the interested parties should be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (where indexation is not possible) and such information must be appropriately and adequately summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed.

45. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on a confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary and a statement of reasons containing a sufficient and adequate explanation in terms of Rule 8 of the Rules, 1995, and appropriate trade notices issued by the Authority, as to why such summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority.

46. The interested parties can offer their comments on the issues of confidentiality claimed by the domestic industry within 07 days from the date of circulation of the non-confidential version of the documents in terms of paragraph 37 of this initiation notification.

47. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or a sufficient and adequate cause statement in terms of Rule 8 of the Rules, and appropriate trade notices issued by the Authority, on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.

48. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or in summary form, it may. disregard such information.

49. The Authority, on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

50. A list of registered interested parties will be uploaded on the DGTR's website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions/response/information to all other interested parties. Failure to circulate non- confidential version of submissions/response/information might lead to consideration of an interested parry as non-cooperative.

N. INSPECTION OF PUBLIC FILE

51. A list of registered interested parties will be uploaded on the DGTR’s website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all other interested parties. Failure to circulate non- confidential versions of submissions might lead to action under Section O of this initiation notification.

O. NON-COOPERATION

52. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period or within the time stipulated by the Authority in this initiation notification or subsequently time period provided through separate communication, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings based on the facts available and make such recommendations to the Central Government as it deems fit.

SIDDHARTH MAHAJAN, Designated Authority

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
GORAKHA NATH YADAVA
Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA
Date: 2025.10.03 12:10:29 +05'30'